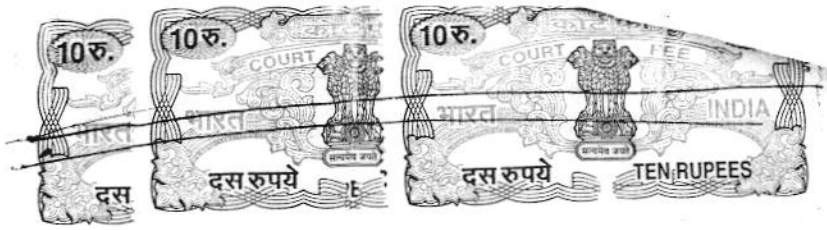

338

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–छतरपुर

प्रवीण कुमार पुत्र श्री बाबूलाल रिछारिया
निवासी कुसमा, तहसील महाराजपुर,
जिला –छतरपुर (म.प्र.) –– आवेदक

विरूद्ध

1– भगवती पुत्र श्री जगतराज नायब,
2– चिरोंजी लाल पुत्र श्री दुर्जन पटेल,
3– नन्दलाल पुत्र श्री वैजनाथ नायक,
4– देवकी नन्दन पुरोहित पुत्र श्री सरजू प्रसाद,
5– देवला पुत्र श्री पंचा कुशवाह
6– देवीदीन पुत्र श्री गुमान अनुरागी,
7– जानकी पुत्र श्री रामलाल कुशवाह,
8– रामप्रसाद पुत्र श्री घला पाल,
9– भगवानदास पुत्र श्री घला पाल,
10– चतरे पुत्र श्री सुन्दर पाल,
11– गोविन्द दास पुत्र श्री हल्काई पटेल,
12– हरदीन पुत्र श्री मलखान पटेल,
13– मातादीन पुत्र श्री मलखान पटेल,
14– कालीचरन पुत्र श्री लच्छू पटेल,
15– राकेश पुत्र श्री देवी प्रसाद पटेरिया,
16– गौरीशंकर पुत्र श्री रामलाल कुशवाह,
17– हरिश्चन्द्र पुत्र श्री रामलाल कुशवाह,
निवासीगण – कुसमा, तहसील महाराजपुर,
जिला छतरपुर (म.प्र.)

–– अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार, तहसील महाराजपुर, जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/अ–13/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 13.10.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महाराजपुर का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महाराजपुर द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत् विचार किये बिना ही जो आदेश पारित किया है। वह

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3598-एक/2016 जिला छतरपुर प्रवीण विरूद्ध भगवती

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार महाराजपुर के प्रकरण क्रमांक 01/अ-13/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 13-10-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 17-10-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2013 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 24.01.19
सदस्य